A052-20222023-001-1645598

संख्या-18/2022/608/बावन-1-2022-13(पी0एम0जे0वी0के0)/2022

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0,
लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ :दिनांक 20 जुलाई, 2022

विषय-केन्द्रपुरोनिधानित योजना (प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त राज्य स्तर पर उपलब्ध केन्द्रांश की धनराशि को एस0एन0ए0 खाते में अन्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1651/अ0सं0क0नि0/पी0एम0जे0वी0के0/ धन0मांग (330)/2022 दिनांक 15 जुलाई, 2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त राज्य स्तर पर उपलब्ध केन्द्रांश की धनराशि को एस0एन0ए0 खाते में अन्तरित किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रपुरोनिधानित योजना-प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त राज्य स्तर पर दिनांक 31.03.2022 तक उपलब्ध केन्द्रांश की धनराशि रू0 **14666.258 लाख (रू0 एक अरब छियालीस करोड़ छाछठ लाख पच्चीस हजार आठ सौ मात्र)** को एस0एन0ए0 खाते में अन्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है, जिसका विवरण निम्नवत ह

3- इस संबंध में होने वाला व्यय **लेखाशीर्ष:** 2235028000106 (एम.एस.डी.पी. योजनान्तर्गत "साइबर ग्राम योजना"(के.60/रा.40-के.)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	048	2235028000106 एम.एस.डी.पी. योजनान्तर्गत "साइबर ग्राम योजना" (के.60/रा.40-के.)	42 अन्य व्यय	3,00,00,000 (रुपये तीन करोड़ मात्र)

	कुल			**3,00,00,000 (रुपये तीन करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4235028000103 (अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन (के.50/रा.50-के.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	048	4235028000103 अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन (के.50/रा.50-के.)	24 वृहत् निर्माण कार्य	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
	कुल			**50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4235028000104 (अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना (के.60/रा.40-के.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	048	4235028000104 अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना (के.60/रा.40-के.)	24 वृहत् निर्माण कार्य	2,40,00,000 (रुपये दो करोड़ चालीस लाख मात्र)
	कुल			**2,40,00,000 (रुपये दो करोड़ चालीस लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4235028000105 (अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत आई.टी.आई. भवनों का निर्माण (के.60/रा.40-के.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	048	4235028000105 अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत आई.टी.आई. भवनों का निर्माण (के.60/रा.40-के.)	24 वृहत् निर्माण कार्य	25,07,67,600 (रुपये पच्चीस करोड़ सात लाख सड़सठ हजार छह सौ मात्र)
	कुल			**25,07,67,600 (रुपये पच्चीस करोड़ सात लाख सड़सठ हजार छह सौ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4235028000106 (अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का निर्माण (के.60/रा.40-के.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	048	4235028000106 अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का निर्माण (के.60/रा.40-के.)	24 वृहत् निर्माण कार्य	9,41,36,700 (रुपये नौ करोड़ इकतालीस लाख छत्तीस हजार सात सौ मात्र)
	कुल			**9,41,36,700 (रुपये नौ करोड़ इकतालीस लाख छत्तीस हजार सात सौ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4235028000107 (अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत राजकीय प्राइमरी स्कूलों का भवन निर्माण/ अतिरिक्त कक्षा-कक्षों /जर्जर भवनों का निर्माण (के.60/रा.40-के.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	048	4235028000107 अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत राजकीय प्राइमरी स्कूलों का भवन निर्माण/ अतिरिक्त कक्षा-कक्षों /जर्जर भवनों का निर्माण (के.60/रा.40-के.)	24 वृहत् निर्माण कार्य	1,27,10,300 (रुपये एक करोड़ सत्ताईस लाख दस हजार तीन सौ मात्र)
	कुल			**1,27,10,300 (रुपये एक करोड़ सत्ताईस लाख दस हजार तीन सौ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4235028000108 (अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत राजकीय जूनियर हाई स्कूलों का भवन निर्माण/ अतिरिक्त कक्षा-कक्षों /जर्जर भवनों का निर्माण (के.60/रा.40-के.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	048	4235028000108 अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत राजकीय जूनियर हाई स्कूलों का भवन निर्माण/ अतिरिक्त कक्षा-कक्षों /जर्जर भवनों का निर्माण (के.60/रा.40-के.)	24 वृहत् निर्माण कार्य	67,39,600 (रुपये सड़सठ लाख उनतालीस हजार छह सौ मात्र)
	कुल			**67,39,600 (रुपये सड़सठ लाख उनतालीस हजार छह सौ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4235028000109 (अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत राजकीय हाई स्कूल एवं इण्टर कालेजो का भवन निर्माण/अतिरिक्त कक्षा-कक्षों /जर्जर भवनों का निर्माण (के.60/रा.40-के.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	048	4235028000109 अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत राजकीय हाई स्कूल एवं इण्टर कालेजो का भवन निर्माण/अतिरिक्त कक्षा-कक्षों /जर्जर भवनों का निर्माण (के.60/रा.40-के.)	24 वृहत् निर्माण कार्य	32,78,32,800 (रुपये बत्तीस करोड़ अठहत्तर लाख बत्तीस हजार आठ सौ मात्र)
	कुल			**32,78,32,800 (रुपये बत्तीस करोड़ अठहत्तर लाख बत्तीस हजार आठ सौ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4235028000110 (अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत रिचार्ज यूनिट सहित सोकपिट का निर्माण (के.50/रा.50-के.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	048	4235028000110 अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत रिचार्ज यूनिट सहित सोकपिट का निर्माण (के.50/रा.50-के.)	24 वृहत् निर्माण कार्य	4,57,000 (रुपये चार लाख सत्तावन हजार मात्र)
	कुल			**4,57,000 (रुपये चार लाख सत्तावन हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4235028000111 (अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत राजकीय पालीटेक्निक का निर्माण (के.60/रा.40-के.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	048	4235028000111 अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत राजकीय पालीटेक्निक का निर्माण (के.60/रा.40-के.)	24 वृहत् निर्माण कार्य	18,09,74,000 (रुपये अठारह करोड़ नौ लाख चौहत्तर हजार मात्र)
	कुल			**18,09,74,000 (रुपये अठारह करोड़ नौ लाख चौहत्तर हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4235028000112 (अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत राजकीय पालीटेक्निक में बालक /बालिका छात्रावास का निर्माण (के.60/रा.40-के.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	048	4235028000112 अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत राजकीय पालीटेक्निक में बालक /बालिका छात्रावास का निर्माण (के.60/रा.40-के.)	24 वृहत् निर्माण कार्य	45,00,000 (रुपये पैंतालीस लाख मात्र)
	कुल			**45,00,000 (रुपये पैंतालीस लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4235028000115 (अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत राजकीय हाईस्कूल एवं इन्टर कालेजों में बालिका छात्रावास का निर्माण (के.60/रा.40-के.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	048	4235028000115 अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत राजकीय हाईस्कूल एवं इन्टर कालेजों में बालिका छात्रावास का निर्माण (के.60/रा.40-के.)	24 वृहत् निर्माण कार्य	45,00,000 (रुपये पैंतालीस लाख मात्र)
	कुल			**45,00,000 (रुपये पैंतालीस लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4235028000117 (अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत पेयजल आपूर्ति योजना (के.50/रा.50-के.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	048	4235028000117 अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत पेयजल आपूर्ति योजना (के.50/रा.50-के.)	24 वृहत् निर्माण कार्य	27,06,41,300 (रुपये सत्ताईस करोड़ छह लाख इकतालीस हजार तीन सौ मात्र)
	कुल			**27,06,41,300 (रुपये सत्ताईस करोड़ छह लाख इकतालीस हजार तीन सौ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4235028000118 (अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत राजकीय बालिका डिग्री कॉलेज का निर्माण (के.60/रा.40-के.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	048	4235028000118 अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत राजकीय बालिका डिग्री कॉलेज का निर्माण (के.60/रा.40-के.)	24 वृहत् निर्माण कार्य	9,68,96,500 (रुपये नौ करोड़ अड़सठ लाख छियानबे हजार पांच सौ मात्र)
	कुल			**9,68,96,500** **(रुपये नौ करोड़ अड़सठ लाख छियानबे हजार पांच सौ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4235028000119 (अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत सदभाव मण्डप का निर्माण (के.60/रा.40-के.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	048	4235028000119 अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत सदभाव मण्डप का निर्माण (के.60/रा.40-के.)	24 वृहत् निर्माण कार्य	15,73,80,000 (रुपये पंद्रह करोड़ तिहत्तर लाख अस्सी हजार मात्र)
	कुल			**15,73,80,000** **(रुपये पंद्रह करोड़ तिहत्तर लाख अस्सी हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4235028000124 (प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कामन सर्विस सेन्टर (के.60/रा.40-के.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	048	4235028000124 प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कामन सर्विस सेन्टर (के.60/रा.40-के.)	24 वृहत् निर्माण कार्य	50,40,000 (रुपये पचास लाख चालीस हजार मात्र)
	कुल			**50,40,000** **(रुपये पचास लाख चालीस हजार मात्र)**

महायोग	1,46,66,25,800 (रुपये एक अरब छियालीस करोड़ छियासठ लाख पच्चीस हजार आठ सौ मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

(1) एस0एन0ए0 खाते में अन्तरित उक्त केन्द्रांश की धनराशि का उपयोग किये जाने के पूर्व पृथक-पृथक परियोजनावार शासन की अनुमति अपेक्षित होगी।

(2) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय सम्बन्धित मानक लेखाशीर्षो से वहन किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजनान्तर्गत अपेक्षित केन्द्रांश की धनराशि राज्य की समेकित निधि में जमा है।

(5) इस सम्बन्ध में भारत सरकार के पत्र दिनांक 15.06.2022 के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह निदेशालय, अल्पसंख्यक कल्याण का उत्तरदायित्व होगा।

(7) वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।

(8) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(9) सम्भावित व्यय को एक मुश्त आहरित न करके फेजिंग के अनुसार किया जाये।

(10) विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।

(11) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(13) प्रत्येक परियोजना की धनराशि आहरित किये जाने से पूर्व वित्त विभाग की अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-4-130-X-2022-23-दिनांक:20-7-2022 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

संख्या-18/2022/608/001-1645598, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अवर सचिव, अल्पसंख्यवक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5. निजी सचिव, मा0 मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
6. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-4 को 01 प्रति।
9. लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।